

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन तत्काल

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फ़ैक्स 225510

E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

क्रमांक / सामा.निर्वा. / 2018 / 2663

अशोकनगर, दिनांक 19/09/2018

—: आदेश :—

व्यय अनुवीक्षण सेल (EMC)

विधानसभा आम निर्वाचन 2018 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन संपन्न कराने के लिये विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर/033 चंदेरी/034 मुंगावली के लिये निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण हेतु जिला स्तरीय व्यय अनुवीक्षण सेल (EMC) का गठन किया जाता है—

क्रं.	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री सुरेश कुमार (I.A.S), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर, मो- 9425140520	नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षण (EMC)
2	श्री राकेश कुमार, जिला कोषालय अधिकारी जिला अशोकनगर, मो-9977178368	सहायक अधिकारी
3	श्री जीवन लाल साहू, सहायक पेंशन अधिकारी जिला अशोकनगर,	सहायक अधिकारी
4	श्री आर.के. गुप्ता, सहायक पेंशन अधिकारी अशोकनगर	सहायक अधिकारी
5	श्री अभिषेक माथुर, सहायक पेंशन अधिकारी अशोकनगर	सहायक अधिकारी

घटक दल—


- समस्त स्टेटिक सर्वेल्स टीम (SST)
- समस्त वीडियो सर्वेल्स टीम (VST)
- समस्त फ्लाइंग स्कॉड टीम (FST)
- समस्त वीडियो व्यूइंग टीम (VST)
- मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC)
- लेखा टीम (AT)
- शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष (CMCR)
- कॉल सेंटर

व्यय अनुवीक्षण सेल व्यय (EMC) अनुवीक्षण के समस्त कार्यो तथा प्रशिक्षण का समन्वय करेगा। व्यय से संबंधित सभी टीमों तथा कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। व्यय अनुवीक्षण सेल (EMC) समस्त अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के 02 प्रशिक्षण तत्समय आयोजित करेगा—

1. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के दिन/व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में।
2. निर्वाचन व्यय अंतिम रूप से दाखिल करने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व।

व्यय अनुवीक्षण सेल परिणाम घोषणा के पश्चात 26वें दिन होने वाली 'लेखा समाधान मीटिंग' के बारे में सूचित करेगा। व्यय अनुवीक्षण सेल (EMC) निर्वाचन व्यय के संबंधित सभी घटकों का समन्वय करेगा तथा व्यय प्रेक्षक (EO) तथा सहायक व्यय प्रेक्षक (AEO) को सूचित करेगा। अनुवेक्षण सेल (EMC) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा व्यय प्रेक्षण (EO) की संवीक्षा रिपोर्ट परिणामों की घोषणा के पश्चात भेजने में मदद करेगा।

यह आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।


(डॉ. मंजू शर्मा)
कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर

पृ.क्रमांक/सामा.निर्वा./2018/2664
प्रतिलिपि:-

अशोकनगर, दिनांक 19/09/2018

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
5. अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अशोकनगर/ईसागढ़/चंदेरी/मुंगावली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अशोकनगर/चंदेरी/मुंगावली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/पिपरई/ईसागढ़/शाढौरा/नईसराय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. थाना प्रभारी (समस्त) जिला अशोकनगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जिला जनसंपर्क अधिकारी अशोकनगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. स्टेनो-टू-कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
13. संबंधित श्री की ओर पालनार्थ।


कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर